

Rajasthan Electricity Regulatory Commission

Vidyut Viniyamak Bhawan, Near State Motor Garage, Sahakar Marg, Jaipur-302001 Phone: 0141-2741299,2740067, Fax:0141-2741018, E-mail: rercipr@yahoo.co.in, website: www.rerc.rajasthan.gov.in

PUBLIC NOTICE

Subject: - Invitation of comments/suggestions on concept paper on Regulatory Framework for Promoting Electric Vehicles and their impact on the Grid and draft order.

The Ministry of Heavy Industry and Public Enterprises, GoI have launched FAME scheme Phase- 1 and 2 to promote faster adoption of electric mobility in the country. Ministry of Power, GoI has also notified the guidelines for charging infrastructure for the Electric Vehicles.

The Commission has prepared a concept paper to provide an overview of the required Regulatory Framework including connectivity, Grid impact and models for charging infrastructure to facilitate promotion of Electric Vehicles in the State of Rajasthan. Along with concept paper, Commission has also issued a draft order providing requisite framework and based on the comments received on the same, the Commission will issue the final order.

The Concept Paper alongwith Draft order can be downloaded from the Commission's website www.rerc.rajasthan.gov.in and the copy of the same can also be obtained from the Receiving officer of the Commission on a payment of ₹ 100/-. Interested persons may submit their views and suggestions on the Staff Paper in six copies to the Receiving officer on or before 29.06.2020.

(B.K.Dosi) Secretary

(Not to be published)

Secretary

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

D) दि D) विद्युत विनियामक भवन, स्टेट मोटर गेरेज के पास, सहकार मार्ग, जयपुर—302001 दूरभाष : 0141-2741299,2740067 फैक्स : 0141-2741018 ई-मेल :

> rercipr@yahoo.co.in website: www.rerc.rajasthan.gov.in

सार्वजनिक सूचना

विषय: इलेक्ट्रिक वाहनो को बढावा देने हेतु विनियामकीय रूप रेखा तथा उनके ग्रिड पर प्रभाब पर टिप्पणियाँ / सुझाव का आमंत्रण ।

भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को तेजी से अपनाने को बढावा देने के लिए फेम स्कीम फेज – 1 और 2 के तहत नीतियाँ घोषित की हैं। ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, ने भी इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने लिए दिशा निर्देश अधिसुचित किये हैं।

आयोग ने एक अवधारणा पत्र तैयार किया हैं जिसमें राजस्थान राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनो को प्रोत्साहित करने के लिए गये चार्जिंग ढाँचे के संबंध में अपेक्षित विनियामिकय रूपरेखा जिसमे कनेक्टिविटी, ग्रिड पर प्रभाव , तथा मॉडल शामिल हैं प्रस्तुत की गई हैं। इस अवधारण पत्र के साथ अपेक्षित रूपरेखा हेत् एक ड्राफ्ट आर्डर भी जारी किया गया हैं जिस पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर आयोग अंतिम आदेश जारी करेगा।

अवधारणा पत्र मय ड्राफ्ट आदेश को आयोग की वेबसाइट <u>www.rerc.rajasthan.gov.in</u> से डाऊनलोड किया जा सकता हैं तथा इनकी प्रतिलिपियाँ रू 100 के भुगतान कर प्राप्तकर्ता अधिकरी से भी प्राप्त की जा सकती हैं। इच्छुक व्यक्ति अपने विचार तथा सुझाव प्राप्त कर्ता अधिकारी को छः प्रतियों में दिनांक 29.06.2020 तक प्रस्तुत कर सकता हैं।

(बी.के. दोसी)

सचिव

(Not to be published)

सचिव